09.01.24 पत्रावली पेश हुई

पक्षकारान वकील हाजर।

प्रार्थना पत्र 09 नियम 7 व 13 सपठित 151 पर

बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 23-01-24

को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

23.01.24 पत्रावली पेश हुई

पक्षकारान वकील हाजर।

... की ... बहस सुनी गई

पत्रावली वास्ते आदेश 30.01.24 को पेश

हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

30.01.2024 पत्रावली पेश हुई।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 9,12 व 13 की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 07 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते एक पक्षीय (Ex-Party) कार्यवाही दिनांक 21.04.2022 पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी (प्रतिवादीगण संख्या 9,12 व 13) की तरफ से प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि उपरोक्त अनवान का प्रकरण श्रीमानजी के न्यायालय में विचारधीन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 912 व 13 के खिलाप दिनांक 21–04–2022 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 12–04–2023 को प्राथमिक डिक्री जारी क[...] पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव पत्रावली में पेश हुआ है जिसमें प्रतिवादी को उपरोक्त वाद की [...] के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नही हुई और न ही किसी प्रकार [...] नोटिस आदि प्रतिवादीगण से तामिल हुआ है। और गलत रुप से एकपक्षीय कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। कि प्रतिवादीगण उपरोक्त विवादित आराजी [...] सहखातेदार है और अपना कब्जा–काश्त है और वाद में अपना पक्ष रखकर न्यायालय से उचित सुनवाई कर अपने हिस्से का भी अपने कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवाना चाहतें है। प्रतिवादी संख्या 9, 12 व 13 के खिलाप एकपक्षीय कार्यवाही को गलत रुप से कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है और उक्त दावें की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:56 IST
Reason: SelfAttested

के द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त दावे की नकले दिनाक 08–08–2023 को प्राप्त की गयी और बाद कानूनन सिविल प्रकिया का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है कि उक्त पत्रावली में वादी के द्वारा शुरूआत में ही प्रतिवादी संख्या 13 का जो पता लिखा है उसमें तहसील का कोई वर्णन नही किया हुआ है। जबकि उक्त प्रतिवादी सिणधरी तहसील का निवासी नही है। जो धोरीमना तहसील में निवास करता है। जिसकी तामिली किस प्रकार से हुई है जिसका वर्णन पत्रावली में और नोटिस की प्रति पर या कही और पर कोई वर्णन नही लिखा गया है। और न ही वादी की और से किसी प्रकार से तामिली की डाक की रिपोर्ट पेश की है। अवलोकन के लिये नोटिस व आदेशिका का अवलोकन किया जाय जिससे स्थिति और स्पष्ट हो जायेगी । इस प्रकार से प्रतिवादीगण की तामिली नही हुई है और प्रतिवादी को अपने खिलाप चल रहे दावे की जानकारी नही हुई. जिससे प्रतिवादी अपना जवाब व प्रतिदावा न्यायालय में पेश नही कर सका और दावा में अपनी और से पैरवी नही कर सका। चूंकि अब उक्त वाद में विभाजन प्रस्ताव बनाने के लिये पक्षकारान की उपस्थिति में मौका देखने का नोटिस भू.अ.नि. पायलां कलां के द्वारा दिनाक 17–05–2023 को जारी किया गया है जिसकी भी सूचना प्रतिवादीगण को नही दी गयी है और दिनांक 26–05–2023 को मौका देखा गया है और मौका रिपोर्ट में नोटिस की तामिली के बारे में किसी प्रकार का कोई हवाला नही दिया गया है और नोटिस कब दिया गया है जिसकी कोई तारीख नही बताई गयी है। जो एक उचित तामिल की श्रेणी मे नही आता है। और किसी स्वतन्त्र मौतबिरान के रुबरु तामिल कराने का कोई प्रयास नही किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव भी गलत रुप व वादी की मनमर्जी के अनुरुप बनाया गया है और प्रतिवादी के कब्जा–काश्त की भूमि को वादी के हिस्से मे दर्शाया गया है व वादी के धोरे की भूमि को प्रतिवादी के हिस्से मे बताया गया है। जो विभाजन प्रस्ताव बनाया गया है वह मौका व कब्जा–काश्त से मेल नही खाता है। और मौका निरीक्षण कर नही बनाया गया है केवल मात्र तहसील में बैठकर वादी के कहे अनुसार कम्पयुटर से लिखित बनाकर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवायें गये है। प्रतिवादी संख्या 9, 12 व 13 के कब्जे काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव में रंग भरकर प्रस्ताव तैयार किया गया है और खे[illegible] अन्य पक्षकारान [illegible] का विभाजन नही किया गया है। जवकि अन्य प्रतिवादीगण के द्वा[illegible] का जवाब दिया गया है और जो विभाजन प्रस्ताव [illegible] का कब्जा भंयकर रुप से प्रभावित हो रहा है। विभाजन प्रस्ताव भी [illegible] रुप व वादी की मनमर्जी के अनुरुप बनाया गया है और उक्त विभाजन प्रस्ताव में जिन प्रतिवादी के द्वारा उक्त दावें में जवाब दिया गया है जिसका भी विभाजन उनके कब्जा–काश्त के अनुसार नही किया गया है। मात्र वादी के हिस्से को अलग दर्शाया गया है और वह भी वहा दर्शाया गया है जहा पर वादी का कोई कब्जा नही है। जो विभाजन प्रस्ताव बनाया गया है वह मौका व कब्जा–काश्त से मेल नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:57:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

खाता है। और मौका निरीक्षण कर नहीं बनाया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी संख्या 9, 12 व 13 के हितो पर घोर कुठाराघात हो रहा है। जो निरस्त करने योग्य है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद विभाजन का है जिसमें प्रतिवादीगण भी खातेदार है और अपना कब्जा–काश्त, रहवासी घर, पानी का टांका और पशुओं का चारबाड़ा आदि बना हुआ है और अपने हिस्से के अनुसार कब्जा–काश्त व मौके पर तारबन्दी आदि की हुई है जिसको प्रतिवादी अपने कब्जे के अनुसार विभाजन करवाना चाहते है। इसलिये प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना न्याय व विधि की दृष्टि से अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 9, 12 व 13 के खिला। दिनांक 21–04–2022 को एकपक्षीय कार्यवाही व दिनांक 12–04–2023 को उक्त पत्रावली में एकपक्षीय प्रथमिक डिक्री जारी की गयी है उसे निरस्त कर पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 9, 12 व 13 को वादग्रस्त आराजी में सह खातेदार होने से उनको जवाब, साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश प्रदान करावें । ताकि हम सह खातेदार के साथ न्याय हो सकें। और न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान हो सके। और पत्रावली में प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना हो सके।

इसके विपरीत वकील वादीगण की बहस है, कि वादीगण का वाद 2 वर्ष से अधिक समय से लम्बित चल रहा है। प्रतिवादीगण की विधि सम्मत रजिस्टर्ड सम्मन तलबी जारी हुई थी और प्रतिवादी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर न्यायालय हाजाद्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जो कि विधिसम्मत आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादीगण जानबूझकर इतने लम्बे समय तक चुपचाप रहे है। अब चुंकि प्रकरण अंतिम निर्णय पर विचाराधीन है। इस कारण प्रकरण को लम्बा करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पक्षकारान के मध्य विवाद का मुख्य कारण सामालाती खातेदारी के खेत के विभाजन को लेकर है, जिसमें पक्षकारान के हिस्से खुले हुए है। प्रकरण अतिंम निर्णय के स्तर पर विचाराधीन होने के कारण प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया जिसमें पाया गया वादीगण की ओर से विवादित भूमि के संबंध में विभाजन का वाद लाया गया है और जिसमें प्रतिवादीगण उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। जहां तक प्रतिवादी वकील के तथ्यों अनुसार जहां उन्हें हितबद्ध पक्षकार के तौर पर सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न हे, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अवस्थित दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि सामालाती की कृषि जोंत के विभाजन हेतु यह वाद पेश किया गया है, जिसमें पक्षकारान के हिस्से खुले हुए है, ऐसी स्थिति में विभाजन के वाद में पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2024.03.04 14:57:56
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी
सहायक कल.
SDO सिणधरी

निपटारा किया जाना है, जिसके लिए मौके की वर्तमान स्थिति तथा उस पर काबिज पक्षकारान के कब्जे काश्त को लेकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति जब पत्रावली में पक्षकारान की विधिवत सुनवाई का सुअवसर दिये जाने के बाद दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया है। लिहाजा विभाजन के वाद में जब विधिसम्मत सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया हो, तो उसे अब नये सिरे से पुनः सुना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, पक्षकार के कब्जे काश्त के निर्धारण का मूल्यांकन प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में किया जा चुका है। जहां तक प्रतिवादीगण के अपने कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवाये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में वे अपनी इस्तदुआ के अनुसार मूल खातेदारी से जरिये कयशुदा भूमि में अपने कब्जे को लेकर स्वतंत्र चाराजोही की जा सकती है, इस प्रार्थना पत्र के जरिये विभाजन के वाद को अनावश्यक लम्बा किया जाना अथवा पुनः सिरे से सुनवाई किया जाना अदालत उचित नहीं समझती है।

लिहाजा प्रतिवादी सं. 9,12 व 13 की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 07 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते एक पक्षीय (Ex-Party) कार्यवाही दिनांक 21.04.2022 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अंतिम बहस आइन्दा 06.02.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

06-02-2024 पत्रावली पेश हुई।
पक्षकारान वकील उप.। पैरोकार सरकार उप.।
शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।
बहस सुनी गई।
वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया एवं सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक प्राप्त नक्शा तरमीम निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। [illegible] नकल [illegible] बाद [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:57:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी